

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस
Notice for Extraordinary General Meeting

गुरुवार, दिनांक १ मार्च २०१८ बेंगलूरु
Thursday, the 1st March, 2018 Bengaluru

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Canara Bank

(A Government of India Unertaking)

Together We Can

सचिवीय प्रभाग

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112 जे. सी. रोड, बेंगलूरु - 560002.

Secretarial Department

MD & CEO's Secretariat Head Office, 112, J.C. Road, Bengaluru - 560002
Email : hosecretarial@canarabank.com

नोटिस

केनरा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियमावली 2000 के विनियम 57 के अनुसार एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 01 मार्च 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सभागृह-1, निमहेन्स कन्वेंशन सेंटर, होसूर मेन रोड, होंबेगौडा नगर, बेंगलूर- 560 029 में आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार करने व यदि यथोचित हो तो संशोधन के साथ या संशोधन के बगैर पारित किया जाए:-

" संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (आगे 'अधिनियम कहा जाएगा') सहपठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970 (आगे 'योजना' कहा जाएगा) और समय-समय पर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियम, 2000 के अनुसरण में तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और / या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा, जो इस विषय में अपेक्षित हो, की अनुमति, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अधीन, जो इस अनुमोदन के संबंध में उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जिसकी सहमति दी गई हो और सेबी (पूजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण समझौते के अधीन शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (आगे 'बोर्ड' कहा जाएगा जिसमें कोई समिति, जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई हो / गठित की जाए, भी सम्मिलित मानी जायेगी) को एतद्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमावली के अधीन ₹ 10/- (दस रुपये मात्र) मूल्य के 13,59,54,616 इक्विटी शेयर नकद में 357.84 निर्गम मूल्य पर, जिसमें 347.84 प्रीमियम भी शामिल है, को अधिमानीत आधार पर भारत सरकार को कुल ₹ 4865/- करोड़ (चार हज़ार आठ सौ पैंसठ करोड़ रुपये मात्र) में सृजित, ऑफर, इश्यू व आबंटित करने की सहमति प्रदत्त है और प्रदान की जाती है।

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Thursday, the 1st March, 2018 at 11.00 a.m. at Auditorium-1, NIMHANS CONVENTION CENTRE, Hosur Main Road, Hombegowda Nagar, Bengaluru - 560 029, to transact the following business:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following as a Special Resolution: -

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended up to date [SEBI (ICDR) Regulations] and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "Board" which shall deemed to include a Committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot 13,59,54,616 Equity Shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of Rs.357.84 including premium of Rs. 347.84 as determined in accordance with SEBI (ICDR) Regulations aggregating upto Rs. 4865 crore (Rupees Four Thousand Eight Hundred and Sixty Five Crore only), on preferential basis to Government of India (GOI).

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि 30 जनवरी 2018 है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार या शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन एवं सूचीकरण के समय अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति या मंजूरी प्रदान करते समय पर अपेक्षित या अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए"।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमानित आधार पर जारी तथा आबंटित किए जाने वाले ये इक्विटी शेयर डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली के अध्याय VII के तहत आवश्यक लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन होंगे तथा हर मामले में (लाभांश घोषणा सहित, यदि कोई हो) बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे जो कि ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, बोर्ड प्राधिकृत है व उसे एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह सभी कार्य, कृत्य, मामले चीजें करे जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं तथा इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी मामले, समस्या या संदेह के समाधान के लिए करे तथा आगे उसे वे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें करने, सभी दस्तावेजों एवं लेखन को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करे जो आवश्यक, अपेक्षित या समीचीन हों जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उपयुक्त, उचित या अपेक्षित हो जिसके लिए शेयरधारकों से कोई और सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। बोर्ड समाप्ति और उस इरादे तक अधिकृत है जिसको शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल अपने सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक / निदेशकों या ऐसे किसी अधिकारी / अधिकारियों को उक्त संकल्प लागू करने के लिए प्रत्यायोजित करने हेतु अधिकृत है तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.02.2018

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of Issue Price is 30th January, 2018."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations and shall rank pari passu in all respects (including Dividend declared, if any) with the existing Equity Shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorised to delegate all or any of its powers to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors



RAKESH SHARMA

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Place : Bengaluru
Date : 07.02.2018

टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य:**
बैठक की कार्यवाही के संबंध में वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिया गया है।
2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति:**
बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। तथापि, ऐसे नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में वक्तव्य देने / बात करने का अधिकार नहीं होगा। प्रतिनिधित्व फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए उसे असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् बुधवार, 23 फरवरी, 2018 को कार्य समाप्ति से पहले या तक बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा किया जाए।
3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**
किसी कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय, जो कि बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति को बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में वह संकल्प पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार 23 फरवरी, 2018 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर देता।
4. **पंजीकरण:**
बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक स्थान पर दिनांक 01 मार्च 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से शुरू होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थिति रहें।
5. **उपस्थिति पर्ची:**
शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे बैठक स्थल पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर "प्रतिनिधि" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें। शेयरधारक/ प्रोक्सिधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन/ जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन - मतदाता पहचान कार्ड / नियोक्ता पहचान कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि। बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची - सह - प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी।
6. **शेयरधारकों का मतदान अधिकार:**
अधिनियम की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों (यथा संशोधित व दिनांक 18.01.2013 से प्रभावी) के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
केनरा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियमावली 2000 के विनियम 68(i) के अनुसार प्रत्येक शेयर धारक, यथा 22 फरवरी 2018 जो ई-वोटिंग / मतदान में प्रतिभागिता हेतु पात्रता निर्धारण के लिए निर्धारित तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, मतदान करने के लिए एक मत प्राप्त होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रति शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा।
केनरा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियमावली 2000 के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो, पंजी में प्रथम नाम युक्त व्यक्ति को शेयर का धारक माना जाएगा।

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT:**
The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed below.
2. **APPOINTMENT OF PROXY:**
A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. However, the Proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Friday, the 23rd February, 2018.
3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Friday, the 23rd February, 2018.
4. **REGISTRATION:**
In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 10.00 a.m. on Thursday, the 01st March, 2018 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.
5. **ATTENDANCE SLIP:**
For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.
6. **VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:**
In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act (as amended and effective from 18.01.2013), no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
In terms of Cl. 68(i) of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 22nd February, 2018 being the 'cut-off date' for determining the shareholders who are entitled to participate in the e-Voting / voting at the Meeting, shall have one vote for each share held by him/her, in case of a poll.
As per the Regulation 10 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.

7. ई-मतदान:

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। सभी शेयरधारकों को ई-मतदान के माध्यम से अपने वोट देने के लिए सक्षम बनाने के संबंध में अलग से सूचना / नोटिस भेजा जा रहा है।

8. चुनाव प्रक्रिया:

कार्यसूची मदों के लिए मतदान, ई-मतदान या चुनाव के द्वारा किया जाएगा न कि हाथ दिखाकर। ई-मतदान विकल्प का इस्तेमाल जिसने नहीं किया है, वे असाधारण सामान्य बैठक की तिथि को बैठक के स्थान पर आयोजित चुनाव में प्रतिभागिता करने तथा मतदान देने के लिए हकदार होंगे।

कार्यसूची मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यसूची मदों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा चुनाव के लिए आदेश दिया जाएगा। चुनाव आयोजित किया जाएगा जिसका पर्यवेक्षण उक्त कार्य के लिए नियुक्त जाँचकर्ता द्वारा किया जाएगा।

बैंक द्वारा मतदान का परिणाम ई-मतदान के परिणाम को शामिल करते हुए अपने वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

9. बैठक के नोटिस की प्रतियां

शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक में नोटिस की प्रति (असाधारण सामान्य बैठक) साथ लाएं।

भारतीय प्रतिभूति व विनियम बोर्ड के शर्तों के अधीन अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण व प्रकटन
(पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता)
विनियमावली, 2009 यथा तिथि तक संशोधित

क) प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बैंक के प्रयासों को पूरा करने के लिए ए) न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1(सीईटी-1) और पूँजी बफर आवश्यकताओं के संदर्भ में विनियामक पूँजी मानदंडों को पूरा करने के लिए (बी) वर्धित ऋण उठाव के लिए विकास पूँजी बढ़ाने हेतु, भारत सरकार ने बैंक को 4865 करोड़ (चार हजार आठ सौ पैंसठ करोड़ रुपए मात्र) की पूँजी डालने का प्रस्ताव दिया है। अधिमानी आधार पर पूँजी के सृजन व निर्गम द्वारा पूँजी का अंतः प्रवाह किया जाएगा। जुटाई गयी पूँजी का उपयोग पूँजी पर्याप्तता में सुधार लाने तथा बैंक के सामान्य कारोबार आवश्यकताओं के निधियन के लिए किया जाएगा।

ख) निर्गम मूल्य / संगत तिथि:

निर्गम मूल्य सेबी-आईसीडीआर विनियमावली, 2009, यथा समय-समय पर संशोधित, के अध्याय VII के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

अधिमानी निर्गम मूल्य के निर्धारण की सुसंगत तिथि 30 जनवरी 2018 होगी।

बैंक के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में छः महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध किए गए हैं। तदनुसार सेबी-आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 76(3) व 78(5) के प्रावधान तथा सेबी-आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 73(1)(एफ) व (जी) के तहत प्रकटन लागू नहीं है।

ग) प्रस्तावित अधिमानी ऑफर के पूर्व व पश्चात शेयरधारण पैटर्न:

क्रमांक	श्रेणी	आबंटन पूर्व शेयरों की संख्या	आबंटन पूर्व प्रदत्त पूँजी का %	आबंटन उपरांत शेयरों की संख्या	आबंटन उपरांत प्रदत्त पूँजी का %
1.	प्रवर्तक - (भारत सरकार)	39,59,90,159	66.30	53,19,44,775	72.55
2.	अन्य शेयर धारक	20,13,00,000	33.70	20,13,00,000	27.45
3.	कुल (1+2)	59,72,90,159	100.00	73,32,44,775	100.00

7. REMOTE e-VOTING:

The Bank is pleased to provide remote e-Voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice. A separate communication / Notice is being sent to all the shareholders to enable them to cast their votes through e-Voting.

8. VOTING AT THE MEETING:

The voting for the agenda item shall be done by remote e-voting or by Voting at the Meeting. Those who have not exercised the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the Voting at the Meeting to be conducted at the venue of the EGM on the date of the meeting.

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order Voting in respect of agenda item. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose.

The Consolidated Results of the Voting at the Meeting and remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

9. COPIES OF NOTICE OF THE MEETING:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Notice (of the Extraordinary General Meeting) to the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURES AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SECURITIES & EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2009 AS AMENDED UP TO DATE

A) The Objects of the proposed Preferential Issue:

For supplementing the Bank's efforts in (a) meeting regulatory capital norms in terms of minimum Common Equity Tier I (CET-I) and Capital Buffer requirements and (b) augmenting growth capital for enhanced credit off-take, Government of India proposes to infuse capital to the extent of Rs 4865 crores to the Bank. The Capital infusion will be by way of creation and issue of capital on preferential allotment basis.

The Capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund the credit growth of the Bank.

B) Issue Price / Relevant Date:

The Issue Price has been determined in accordance with Chapter VII of the SEBI-ICDR Regulations, 2009, as amended from time to time.

The 'Relevant Date' for determining the issue price of the resultant equity shares shall be 30th January, 2018.

The equity shares of the Bank have been listed with the stock exchanges for more than six months and accordingly, provisions of Regulations 76(3) and 78(5) of SEBI-ICDR Regulations, 2009 and the disclosures under Regulations 73(1) (f) & (g) of SEBI-ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

C) Shareholding Pattern before and after the proposed Preferential Offer:

Sl. No.	Category	Pre-allotment in terms of No. of shares	% of pre-allotment paid Up Capital	Post allotment in terms of No. of Shares	% of Post-allotment Paid up Capital
1.	Promoter-(Govt. of India)	39,59,90,159	66.30	53,19,44,775	72.55
2.	Other Shareholders	20,13,00,000	33.70	20,13,00,000	27.45
3.	Total (1+2)	59,72,90,159	100.00	73,32,44,775	100.00

घ) अधिमानी निर्गम पूरा करने के लिए समय सीमा :

शेयरधारकों द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से 15 दिनों के अंदर आबंटन किया जाना है, बशर्ते कि यदि कोई विनियामक प्राधिकारियों से ऐसे आबंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ज्यादा समय लिया गया है तो आबंटन समय को बढ़ाया जाएगा।

ङ) प्रस्तावित आबंटियों की पहचान तथा उनके द्वारा अधिमानी निर्गम के पश्चात धारित शेयरों का प्रतिशत और अधिमानी निर्गम के पश्चात निर्गमकर्ता के नियंत्रण में यदि कोई परिवर्तन है तो :

	शेयरों की संख्या	पूँजी का प्रतिशत
निर्गम से पूर्व	39,59,90,159	66.30
निर्गमोपरान्त	53,19,44,775	72.55

प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणाम स्वरूप बैंक के वर्तमान प्रवर्तक, अर्थात् भारत सरकार बैंक के ऊपर नियंत्रण जारी रखेगा तथा प्रबंधन / बैंक पर नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

चूंकि भारत सरकार को जारी किए गए इक्विटी शेयर वित्त वर्ष में 5% से अधिक हो जाएगा, बैंक सेबी (पर्याप्त शेयरों के अधिग्रहण) विनियम, 2011 की प्रयोज्यता से उनकी छूट की मांग के साथ भारत सरकार की ओर से सेबी को आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

च) सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणीकरण :

प्रस्तावित अधिमानी निर्गम पर विचार करते हुए तथा यह निर्गम सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के आवश्यकताओं (निर्गम मूल्य सहित) के अनुरूप प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों से एक प्रमाणपत्र शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति दिनांक 01 मार्च, 2018 को असाधारण सामान्य बैठक के समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

छ) लॉक-इन अवधि :

सेबी आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार :

1) विशेष संकल्प के पश्चात भारत सरकार के पूर्व-अधिमानी धारिता की लॉक इन अवधि छ: माह की होगी जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा आबंटित किए जानेवाले शेयरों के ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से छ: महीने की अवधि के लिए होगी।

2) प्रवर्तकों अर्थात् भारत सरकार को अधिमानी आधार पर निर्गत किए जानेवाले प्रस्तावित नए इक्विटी शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन के पश्चात तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के अधीन होंगे।

ज) उक्तानुसार निर्गत इक्विटी शेयर हर मामलों में बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे।

झ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर विभौतिकृत रूप में है तथा बैंक स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार में निर्धारितानुसार इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का अनुपालन करता है। भारत सरकार ने संगत तिथि से पूर्व छ: महीने के अंदर बैंक के किसी इक्विटी शेयर को बेचा नहीं है।

ञ) बैंक के इक्विटी शेयरों की सूचीयन की गई स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रविष्ट की गई सूचीयन करारों के खंड 23, बशर्ते कि, जब शेयरों के आबंटन के द्वारा बैंक की पूँजी बढ़ाने के प्रस्ताव पर, ऐसे शेयर वर्तमान शेयरधारकों को बैंक में उनके शेयरधारण के अनुरूप ऑफर किया जाए, जब तक शेयरधारकों द्वारा एक सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प के ज़रिए अन्यत्र निर्णय लिया न जाए। पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर बैंक के वर्तमान शेयरधारक को आबंटित करने के प्रस्ताव के कारण यह संकल्प पारित किया जाए।

ट) बैंक घोषणा करता है कि जहाँ पर आवश्यक है, उधर बैंक द्वारा सेबी-आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य का पुनःगणना की जाएगी।

ठ) बैंक घोषणा करता है कि शेयरों के मूल्य की पुनः गणना के पश्चात देय राशि इन विनियमों में निर्धारित समय सीमा तक प्रदान नहीं की गयी तो, आबंटि द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने तक विशेषीकृत प्रतिभूतियाँ लॉक-इन में जारी रहेगी।

आपके निदेशक इस नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



राकेश शर्मा

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 07.02.2018

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

D) The timeline within which the preferential issue shall be completed :

The allotment shall be made within 15 days of the passing of the resolution by the shareholders, provided that the time for allotment shall be extended by the time taken for obtaining approval for such allotment from any regulatory authority, if any.

E) The identity of the Proposed Allottees and the percentage of post Preferential Issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre-Issue	39,59,90,159	66.30
Post-Issue	53,19,44,775	72.55

The existing promoters of the Bank i.e. the Government of India (GOI) will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

As the equity shares issued to GOI will be more than 5% in this Financial Year, the Bank is in the process of making an application on behalf of GOI with SEBI seeking their exemption from the applicability of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011.

F) Certification from Statutory Auditors:

A Certificate from the Statutory Auditor(s) certifying that issue *inter alia* the Issue Price is being made in accordance with the requirements of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009. A copy of the said certificate will be made available for inspection at the Extraordinary General Meeting on 1st March, 2018.

G) Lock-in period:

In terms of SEBI (ICDR) Regulations, :

- the entire pre-preferential holding of GOI will be locked-in for a period of six months commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval issued by the Stock Exchanges for the shares to be allotted pursuant to the Special Resolution.
 - the new equity shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India shall be subject to a lock-in period of three years from the date of trading approval.
- H) The equity shares issued as above shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank**
- I) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.**
- J) Clause 23 of the Listing Agreements entered into with the stock exchanges where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than *pro rata* to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed.**
- K) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do.**
- L) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.**

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the accompanying Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Resolution.

By Order of the Board of Directors



RAKESH SHARMA

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Place : Bengaluru
Date : 07.02.2018

(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

उपस्थिति पर्ची

असाधारण सामान्य बैठक – 01.03.2018
(बैठक हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक :	समय :
स्थान : बेंगलूर	
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजी पत्रा (अभौतिकृत हो तो)	डी.पी.आई.डी. व ग्राहक आई.डी. (भौतिकृत हो तो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

प्रवेश पास

असाधारण सामान्य बैठक – 01.03.2018
(पूरी बैठक के दौरान पास रखा जाए)

शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो (अभौतिकृत हो तो)	डीपीआईडी सं ग्राहक आईडी सं
उपस्थित प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम	
शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

बैठक स्थल में प्रवेश करने के लिए शेयरधारकों / शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक के पास पंजीकृत अपने नमूने हस्ताक्षरों के अनुरूप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास के साथ दिखाएं। शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश अनुमत किया जाना आवश्यक समझे जानेवाले सत्यापन / जांचों के अधीन होगा और उनको सूचित किया जाता है कि वे पहचान का विधिमान्य साक्ष्य यानि वोटर आई.डी. कार्ड / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस आदि अपने साथ रखें। किसी भी हालत में बैठक स्थान में किसी प्रकार की डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय, # 112, जे सी रोड, बेंगलूर- 560 002

असाधारण सामान्य बैठक- 01.03.2018

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

मैं / हम निवासी जिला राज्य
 केनरा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री / श्रीमती
 निवासी जिला राज्यको, अथवा इनके न होने पर,
 श्री / श्रीमती निवासी जिला राज्य
 को सभागृह-1, निमहेन्स कनवेंशन सेंटर, होसुर मेन रोड, होंबेगौडा नगर, बेंगलूर- 560 029 में दिनांक 1 मार्च, 2018 को सुबह 11.00 बजे
 होनेवाली केनरा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे / हमारे लिए और मेरी /
 हमारी ओर से मतदान करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।
 आज वर्ष 2018 माह के दिन को हस्ताक्षरित

रजिस्टर्ड फोलियो सं. / ग्राहक आई डी :
 शेयरों की सं.

कृपया
 राजस्व स्टाम्प
 चिपकाएं

.....
 प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

.....
 प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि,
 - एकल शेयरधारक के मामले में उस पर उनके द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - एक निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
- यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो प्रतिनिधि लिखत में उसका हस्ताक्षर तब पर्याप्त माना जाएगा, यदि उस पर उसका निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वसनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या फिर केनरा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रतिनिधि फॉर्म,
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार (यदि कोई हो), जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, के चार दिन के पूर्व अर्थात् बुधवार, 23 फरवरी, 2018 के समापन समय के पहले केनरा बैंक के सचिबीय प्रभाग, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूर में जमा किया जाए।
- यदि संबंधित मुख्तारनामा केनरा बैंक या शेयर अंतरण एजेंट के साथ पंजीकृत किया गया हो, तो मुख्तारनामे का पंजीयन संख्या और ऐसे पंजीयन का दिनांक सृजित करना होगा।
- कोई भी प्रतिनिधि लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक कि वह फॉर्म 'बी' में न हो और उसको विधिवत् स्टाम्पित न किया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रतिनिधि लिखत अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रतिनिधि लिखत, दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई है तो एक से ज्यादा फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रतिनिधि लिखत का निष्पादन करनेवाले शेयरधारक को उस असाधारण आम सभा में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो केनरा बैंक का एक अधिकारी या कर्मचारी हो।



HO : # 112, J C ROAD BENGALURU - 560 002

Extraordinary General Meeting – 01.03.2018

FORM 'B'

FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the Shareholder]

I/We Resident of
in the district of..... in the State of being a shareholder
 /shareholders of the Canara Bank, hereby appoint Shri/Smt resident
 of.....in the district ofin the State ofor
 failing him/her, Shri/Smt resident of in the district of
 in the State of as my / our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at
 the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Canara Bank to be held on Thursday, the 1st March, 2018 at 11.00 a.m. at
 Auditorium – 1, NIMHANS CONVENTION CENTRE, Hosur Main Road, Hombegowda Nagar, Bengaluru – 560 029 and at any
 adjournment thereof.

Signed this day of 2018
 Regd. Folio No./Client ID:
 No. of Shares

Please affix
 Revenue Stamp

.....
 Signature of Proxy

.....
 Signature of the first named / sole shareholder

Name & Address:.....


INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Canara Bank.
3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Canara Bank, Secretarial Department, 1st Floor, Head Office 112, J C Road Bengaluru – 560 002 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of Friday, the 23rd February, 2018
4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Canara Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Canara Bank.

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Canara Bank
(A Government of India Unertaking)
Together We Can



विषय / Contents

	पृष्ठ सं / Page No.
नोटिस / NOTICE	1
टिप्पणियाँ / NOTES	3
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास / ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	6
प्रॉक्सी फार्म / PROXY FORM	8